कार्यालयः— उपायुक्त—सह—जिलादण्डाधिकारी, लातेहार।

(नजारत शाखा)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के द्वारा कुल 04 (चार) विभागीय वाहनों की नीलामी का निर्णय लिया गया है। नीलामी होने वाले वाहनों की विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्र0सं0	वाहन सं0	वाहन का प्रकार	पुनरीक्षत न्यूनतम मूल्य
1	JH03A 2306	जिप्सी	32000.00
2	BR0 5910	कमांडर जीप	28000.00
3		कमांडर जीप	25000.00
4		TATA 407	45000.00

उक्त विभागीय वाहन उपायुक्त गोपनीय शाखा, लातेहार में भौतिक रूप से देखा जा सकता है।

वाहन के संबंध में किसी प्रकार की सूचना माको डाक बगंला स्थित जिला परिवहन शाखा, लातेहार से प्राप्त की जा सकती है। उक्त वाहन की नीलामी समिति द्वारा दिनांक 10.02.2021 को समय 12:00 बजे अपराह्न में उपायुक्त, लातेहार के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा। नीलामी में भाग लेने वाले आम लोगों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. नीलामी से पूर्व प्रति वाहन 5,000/—(पांच हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, लातेहार के नाम से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा नीलामी में भाग नहीं ले सकेगें। नीलामी के बाद यह राशि वापस कर दी जायेगी। डाक में सफल होने पर डाक राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
2. नीलामी की तिथि समिति के अध्यक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है या मुआवजा की मांग नहीं की जा सकती है।
3. उच्चतम डाककर्त्ता द्वारा एक सप्ताह के अंदर नीलामी राशि पूर्ण रूप से यदि जमा नहीं की जाती है, तो प्रतिभूति राशि के रूप में जमा राशि जप्त कर ली जायेगी।
4. नीलामी का आधार जो वाहन जहां है जैसा है, भौतिक रूप से उपलब्ध वाहन की स्थिति या वाहन का कागजात जिस स्थिति में होगा, उसी स्थिति में देय होगा। इसके विरूद्ध किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।
5. अध्यक्ष एवं नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा नीलामी रद्द करने या नीलामी की तिथि बढ़ाने हेतु निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। उनके द्वारा लिए गये निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उपायुक्त, लातेहार